



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18072022-237338
CG-DL-E-18072022-237338

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3058]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 18, 2022/आषाढ़ 27, 1944

No. 3058]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 18, 2022/ASHADHA 27, 1944

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 2022

का.आ. 3216(अ).—केन्द्रीय सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि महाराष्ट्र राज्य में पेट्रोलियम पदार्थों के परिवहन के लिए "कोयली - अहमदनगर - सोलापुर पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजना के क्रियान्वयन हेतु इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए।

और केन्द्रीय सरकार को ऐसी पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत होता है कि ऐसी भूमि में जो इससे उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित है, और जिसमें उक्त पाइपलाइन बिछाई जाने का प्रस्ताव है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको इस अधिसूचना में युक्त शर्त के राजपत्र की प्रतियां साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, इक्कीस दिन के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के लिए उसमें उपयोग के अधिकार के संबन्ध में श्री ए.बी.मोहेकर, नायब कलेक्टर (अवकाश प्राप्त) सक्षम प्राधिकारी,

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सर्वे नं. 359/ए/7, प्लॉट नं.7, 8 & 9, विवेकानंद नगर नं.2, मनमाड महाराष्ट्र - 423104 को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

तहसील:-राहुरी	जिला:- अहमदनगर		राज्य:-महाराष्ट्र		
मौजे / ग्राम	सर्वे / ब्लाक / सं. (प्लोट सं.)	सब-डीव-सं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टर	आर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
टाकलीमिया	287		00	17	03
	289		00	21	14
	132		00	15	41
	135		00	22	07
	365		00	04	61

[फा. सं. आर-11025(11)/6/2018-ओआर-I/ई-23678]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th July, 2022

S.O. 3216 (E).—Whereas, it appears to the Central Government, that it is necessary in the public interest that for the transportation of Petroleum Product from the State of Maharashtra a pipeline should be laid for implementing Koyali - Ahmednagar – Solapur Pipeline Project under the Indian Oil Corporation Limited.

And, whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying the said pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land under which the said pipeline is proposed to be laid, and which is described in the Schedule annexed to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Any person who is interested in the land described in the said Schedule may submit objection in writing to Shri A.B.Mohekar Deputy Collector (Retd.) Competent Authority Indian Oil Corporation Limited, Survey No.359/A/7, Plot No.7, 8 & 9, Vivekanand Nagar No.2, Manmad – 423104, Maharashtra within twenty one days from the date on which the copies of this notification issued under sub-section (1) of Section 3 of the said Act, as published in the Gazette of India, are made available to the general public.

SCHEDULE

Tehsil:- Rahuri	District:- Ahmadnagar		State :- Maharashtra		
	Survey/Block No.	Sub-Div-No.	Area		
			Hectare	Are	Sq.mtr.
1	2	3	4	5	6
Takalimaya	287		00	17	03
	289		00	21	14
	132		00	15	41
	135		00	22	07
	365		00	04	61

[F. No. R-11025(11)/6/2018-OR-I/E-23678]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.